न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **153/2025** दायर दिनाँक **05.05.2025**

वादी		**प्रतिवादी**
1. उदय सिंह राठौर पुत्र ओनार सिंह राठौर जाति राजपूत निवासी थाणु तहसील डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन (राज.) हाल निवासी फ्लैट नम्बर 311, जौहरी पैलेस, 51 महात्मा गांधी रोड इंदौर(म. प्रदेश)।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना।

राजस्व–वाद बाबत्
घोषणा नाम संसोधन, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188, R. T.Act. 136 L.R. Act.

उपस्थितः–
श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़ एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **24.07.2025**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम थाणु, पटवार हल्का सूपका, भू. अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र दयालपुरा में खेत खसरा संख्या 528/387 रकबा 1.7600, खसरा संख्या 348 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 349 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 569/350 रकबा 0.0240 हैक्टेयर, खसरा संख्या 570/350 रकबा 0.0384, खसरा संख्या 571/350 रकबा 0.0576 हैक्टेयर भूमि एकल खातेदारी तथा खसरा संख्या 390 रकबा 5.788 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है, जिसमें 1/4 हक हिस्सा व अधिकार तथा खातेदारी दर्ज है। वादी उदय सिंह राठौर का घर में बचपन का बोलता नाम मदनसिंह है तथा वादी उदय सिंह, विजय सिंह पुत्र रामनाथ सिंह का गोद पुत्र है। वादी उदय सिंह के आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि दस्तावेजात में उदय सिंह पुत्र ओनार सिंह राठौर नाम दर्ज है, जबकि उपरोक्त विवादग्रस्त भूमियों में वादी का नाम मदन सिंह पुत्र विजय सिंह दर्ज है, जबकि दस्तावेजात के अनुरुप ही वादी का नाम इन समस्त खैतायों की खातेदारी में उदय सिंह पुत्र ओनार सिंह दर्ज होना था। इसलिए वादी को यह वाद–पत्र वादी के नाम व पिता के नाम में संशोधन, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी आया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

राजस्व ग्राम थाणु, पटवार हल्का सूपका, भू. अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र दयालपुरा में खेत खसरा संख्या 528/387 रकबा 1.7600, खसरा संख्या 348 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 349 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 569/350 रकबा 0.0240 हैक्टेयर, खसरा संख्या 570/350 रकबा 0.0384, खसरा संख्या 571/350 रकबा 0.0576 हैक्टेयर भूमि एकल खातेदारी तथा खसरा संख्या 390 रकबा 5.788 [illegible] खातेदारी में 1/4 हक हिस्सा व अधिकार तथा खातेदारी की भूमि में [illegible] गलत नाम "मदन सिंह" व पिता के गलत नाम "विजय सिंह" [illegible] की घोषणा की जाकर वादी का सही नाम "उदय [illegible]" व पि[illegible] सही नाम "ओनार सिंह राठौर" दर्ज किये जाने की घोषणा [illegible] अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद फरमावें तथा स्थायी निषेधाज्ञा बहक [illegible] विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की आज्ञाप्ति फरमावें कि उक्त विवादग्रस्त भूमियों में से वादी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:08:20 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

प्रतिवादी न तो स्वयं बेदखल करें और ना ही अपने एजेंट व प्रतिनिधि से ऐसा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक/प.1(11)रीडर/2025/347 दिनांक 14.07.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम थाणु के खसरा संख्या 348, 349, 569/350, 570/350, 571/350 व 390 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में खसरा संख्या 390 को छोड़कर मदनसिंह पुत्र विजयसिंह के नाम दर्ज है व खसरा संख्या 390 में मदनसिंह पुत्र विजयसिंह 1/4 हिस्से का सहखातेदार दर्ज है। वक्त सेटलमेंट में वादी का नाम मदनसिंह पुत्र विजयसिंह दर्ज हो गया। वादी के आधार कार्ड, पेनकार्ड में वादी का नाम उदयसिंह राठौर पुत्र ओनारसिंह राठौर अंकित है तथा वादी का वास्तविक नाम उदयसिंह राठौर पुत्र ओनारसिंह राठौर है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया सरहद थाणु के खेत खसरा संख्या 348, 349, 569/350, 570/350, 571/350 व 390 में वादी मदनसिंह पुत्र विजयसिंह के स्थान पर अपना वास्तविक नाम उदयसिंह राठौर पुत्र ओनारसिंह राठौर दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार सरहद थाणु के खेत खसरा संख्या 348, 349, 569/350, 570/350, 571/350 व 390 वक्त सेटलमेंट वादी का नाम मदनसिंह पुत्र विजयसिंह दर्ज हो जाने तथा वादी का वास्तविक उदयसिंह राठौर पुत्र ओनारसिंह राठौर होने के कारण वादी के नाम का सही अंकन मदनसिंह के स्थान पर उदयसिंह होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः बाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

सरहद सरहद थाणु के खेत खसरा संख्या 528/387 रकबा 1.7600, खसरा संख्या 348 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 349 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 569/350 रकबा 0.0240 हैक्टेयर, खसरा संख्या 570/350 रकबा 0.0384, खसरा संख्या 571/350 रकबा 0.0576 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 390 रकबा 5.788 हैक्टेयर भूमि में मदनसिंह पुत्र विजयसिंह के स्थान पर उ[illegible] राठौर पुत्र विजयसिंह दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है। मद[illegible] विजयसिंह के स्थान पर उदयसिंह राठौर पुत्र [illegible] को [illegible] पर [illegible] किया जाता है। तदनुसार रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:08:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(विक[illegible] मोहन भाटी R.A.S.)
डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **24.07.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना